भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)

केन्द्रीय भवन
सैक्टर एच, अलीगंज
लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–2324025

पत्र सं0 8बी / यू.सी.पी / 09 / 137 / 2009 / एफ सी / 880

दिनॉक 23.10.2009

सेवा में,

प्रमुख सचिव, वन,
उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।

विषय: जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ग्राम बिजनी छोटी तथा ग्राम कुमारथा निकट मोहनचट्टी में 0.157 हे0 वन भूमि का साहसिक पर्यटन कार्यों हेतु जम्पइन एडवैन्चर्स प्रा0 लि0, मोहनचट्टी, ऋषिकेश को 5 वर्षो की अनुमति दिया जाना।

सन्दर्भ: नाभिक अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड का पत्रांक 553 / 1जी–2543 (पौड़ी) दिनॉक 24 / 08 / 2009 ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर नाभिक अधिकरी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड का पत्रांक 20 / 1जी–2543 (पौड़ी) दिनॉक 01 / 07 / 2009 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण के अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 03.08.2008 के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमे उल्लिखित शर्तो की अनुपालना नाभिक अधिकारी, उत्तराखण्ड के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गयी। उक्त अनुपालना आख्या पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द सरकार जनपद पौड़ी गढवाल के अन्तर्गत ग्राम बिजनी छोटी तथा ग्राम कुमारथा निकट मोहनचट्टी में 0.157 हे0 वन भूमि का साहसिक पर्यटन कार्यों हेतु जम्पइन एडवैन्चर्स प्रा0 लि0, मोहनचट्टी, ऋषिकेश को 5 वर्षो की अनुमति एवं शुन्य वृक्षो के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करते है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षो का वृक्षारोपण एवं पॉच वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं रखरखाव किया जायेगा।
4. भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सी0ए0–1594, कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपकम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 मे जमा कराया जाये।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जाएगी।
7. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण में स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसोई गैस / किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
9. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से सड़क निर्माण में मिट्टी / पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

भवदीया,

(शैलजा सिंह)
उप वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर0 वन महानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003
2. नाभिक अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडॉन वन प्रभाग, कोटद्वार।
4. निदेशक, जम्पइन एडवैन्चर्स प्रा0 लि0, मोहनचट्टी, ऋषिकेश।
5. आदेश पत्रावली ।

26/10/09

(शैलजा सिंह)
उप वन संरक्षक(के.)

Scanned by CamScanner